राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

बेटी बचाओ
Save the girl Child

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट/2015/ 895 दिनांक : 21/7/15

कार्यवाही विवरण

राज्य बेटी बचाओं अभियान प्रकोष्ठ की द्वितीय बैठक का आयोजन दिनांक 06.07.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे राज्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना, जयपुर में प्रकोष्ठ के संरक्षक एवं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड के मुख्य आतिथ्य में किया गया।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार श्री मुकेश शर्मा अध्यक्ष, बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ एवं बेटी बचाओं अभियान की ब्राण्ड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी सहित बेटी बचाओ प्रकोष्ठ के सदस्यगण, बेटी बचाओ बेटी पढाओ के लिये चयनित राज्य के 10 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, इण्डियन मेडिकल एसोसियशन, इण्डियन रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग एसोशियसन, फोग्सी एवं एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का विवरण परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।:–

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी श्री नवीन जैन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक एजेण्डा प्रस्तुत किया एवं इस पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला गया।

इसके पश्चात बेटी बचाओ अभियान के तहत किये जा रहे नवाचार बाबत् झुन्झुनू, बीकानेर, बून्दी, कोटा, दौसा व भरतपुर जिले का प्रस्तुतिकरण संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा दिया गया।

माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार श्री राजेन्द्र सिंह राठौड द्वारा बेटी बचाओ से संबंधित सुझाव मांगे गये, प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नांकित निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये :–

1. डॉ0 सुमन मित्तल अध्यक्ष, जयपुर ऑब्सट्रेटिक एण्ड गायनोकोलॉजी सोसायटी ने यह प्रस्ताव रखा कि "**Doctors for Daughter**" बीकानेर के नवाचार की तरह जयपुर में भी "**Doctors for Daughter**" के लिये यहां जयपुर से भी अनेक डॉक्टर्स ने बेसहांरा व अनाथ बच्चियों हेतु वचनबद्ध कार्य का प्रस्ताव दिया है। वें दिनांक 16.08.2015 को इस कार्यक्रम का शुभारम्भ करना चाह रहे है।
2. ब्राण्ड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी के सुझाव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों में प्रतिदिन बेटी बचाओ अभियान

की सफल कहानियों का प्रकाशन करवाये जाने की व्यवस्था की जायें। इस व्यवस्था हेतु मीडिया के प्रबंधकों/मालिकों से भी सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायें।

3. राज्य में बेटी बचाओ अभियान से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों, संगठनों, एनजीओ एवं स्वयं सहायता समुह को राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जायें।

4. राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय, गांव के चौराहा/चौपाल में गांव की जनसंख्या, पुरूष व महिला अनुपात, बाललिंगानुपात (0–6 वर्ष) तथा जन्म पर बाललिंगानुपात का किसी बोर्ड/दीवार पर उल्लेख किया जाये ताकि प्रत्येक ग्रामवासी को अपने गांव की महिला/पुरूष के लिंगानुपात की जानकारी प्राप्त हो सके एवं घटते हुए बाल लिंगानुपाल की गंभीरता के प्रति जागरूक हो सके।

5. राज्य की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों/स्टेशनरी की दुकानों/टिफिन बॉक्स की दुकानों आदि से यह अनुरोध किया जाये कि वह अपने मिठाई बॉक्स/टिफिन बॉक्स एवं स्टेशनरी पर बेटी बचाओ बेटी पढाओं अभियान से संबंधित रेपर लगायें जिससे कि समाज में बेटी बचाओ अभियान से संबंधित जागरूकता फैलाई जा सके।

6. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी श्री नवीन जैन ने राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उददेश्य बाबत् अवगत कराया कि दिनांक 11.07.2015 राज्य में विश्व जनसंख्या दिवस पर "कुशल मंगल कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया जा रहा है जिसके तहत "अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिला को विशेष महत्व प्रदान कर उनका चरणबद्व चिन्हिकरण, लाइन लिस्टिंग, उपचार एवं फोलोअप किया जायेगा ताकि गर्भावस्था एवं प्रसवकाल को सुरक्षित बनाया जा सके।"

7. IMPACT सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी द्वारा जिन 6000 गर्भवती महिलाओं को ट्रेक किये जाने हेतु दूरभाष पर सम्पर्क किया जा रहा है उन सभी का पर्यवेक्षण जारी रखा जाये ताकि अब तक 6000 में से जिन 3000 महिलाओं से उनके प्रसव संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है उनके बच्चा या बच्ची बाबत् जानकारी प्राप्त कर राज्य में जन्म पर बाललिंगानुपात संकेत (Trends) प्राप्त किये जा सके। दिनांक 31 जुलाई तक समस्त जिलों से यह सूचना प्राप्त की जाये।

8. वर्ष 2015–16 में भी पूर्व की भांति युवा विकास केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा संगठन व स्काउट तथा गाइड के माध्यम से राज्य के निजी व राजकीय महाविद्यालयों में बेटी बचाओं अभियान से संबंधित लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित करवाया जाये।

9. इण्डियन मेडिकल एसोसियशन, इण्डियन रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग एसोशियसन, फोग्सी के निजी डॉक्टरों से Prescription Slip में "भ्रूण लिंग परीक्षण करवाना जघन्य अपराध है तथा इसकी शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर की जा सकती है" स्लिप छपवाना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु पुनः अनुरोध किया जाये। आर.एम.एस.सी. ने उक्त कार्य पूर्व में ही शुरू कर दिया है।

10. सिविल रिट पिटिशन (PIL) 3270/2012 श्री एस.के. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2015 की अनुपालना में राज्य स्तर से परिपत्र संख्या–18 जारी किया गया है इसकी अनुपालना सुनिश्चित करावाई जाये तथा दिनांक 15.07.2015 के बाद राज्य में बेची जाने वाली समस्त अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के साथ जीपीएस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित किय जाये।
11. राज्य सरकार ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर्स को रंगे हाथों पकडवाने के उददेश्य से जारी मुखबिर योजना के तहत ईनाम राशि को दिनांक 30.04.2015 के तहत एक लाख रुपये से बढाकर दो लाख रुपये किया गया है। इस योजना के तहत दिये जाने वाली ईनाम राशि का अत्यधिक प्रचार–प्रसार किया जाये।
12. राज्य में समस्त सोनोग्राफी मशीन/साइलेंट ऑब्जर्वर की क्रियाशीलता की नियमित मॉनिटरिंग की जाये।
13. समुचित प्राधिकारियों द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत निर्धारित निरीक्षण आयोजित किये जाये तथा समय पर जिला व उप जिला सलाहकार एवं समुचित प्राधिकारी की नियमित बैठक आयोजित की जाये तथा बैठक की अवधि का उल्लेख बैठक के कार्यवाही विवरण में आवश्यक रूप से किया जाये।
14. VHS&NC ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के फण्ड के माध्यम से सभी गांवों के निजी व सरकारी विद्यालयों में बेटियों को सम्मानित करने हेतु Talk SHOW का आयोजन किया जाये तथा बेटियों को सम्मानित करने वालों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाये तथा 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को जिला व राज्य स्तर पर एक–एक ईनाम इस गतिविधि के तहत दिया जाये।
15. विश्व बालिका दिवस एवं महिला दिवस पर प्रत्येक जिलों में खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित बडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये तथा इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाली 3–5 लडकियों को उनके परिवार के साथ सम्मानित किया जाये।
16. कोटा जिले मे सामुहिक विवाह के आयोजन पर बेटी बचाओं अभियान की शपथ दिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस नवाचार को पूरे राज्य में जागरूक करने के प्रयास किये जावें तथा अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी श्री नवीन जैन ने सुझाव दिया कि कोटा जिले में बेटी के जन्म पर सादा कविता का फोटो दिया जा रहा है, जिसे फोटो फ्रेम में बदलकर नवजात कन्या का फोटो लगाया जाये ताकि उससे अन्य लोग भी बेटी बचाओं अभियान से प्रभावित हो सके।
17. जिला दौसा में बेटियों के निशुल्क इलाज हेतु प्रोत्साहन के नवाचार तथा कलेक्टर ऑफिस से निकलने वाले लेटर एवं विभाग के प्रत्येक बैनर पर बेटी बचाओ का लोगो हेतु नवाचार का क्रियान्वयन किया गया। इसे भी सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाये।
18. बेटी जन्म पर बून्दी जिले मे किये जा रहे नवाचार–गोद भराई व जामणा की परम्परा को भी एक अच्छा उदाहरण बताया गया।

आगामी बैठक का आयोजन माह अक्टूबर, 2015 में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

([illegible] जैन I.A.S.)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

A

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, राजकुमारी दीया कुमारी (ब्राण्ड एम्बेसेडर "बेटी बचाओं अभियान"), माननीया विधायक, सवाईमाधोपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, प्रबन्धक निदेशक, आरएमएससी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव (चिकित्सा शिक्षा), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
9. वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
10. वरिष्ठ चिकित्सक, रेडियोलोजी विभाग, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
11. निदेशक, जन–स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, राज्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), राजस्थान जयपुर।
14. अति. निदेशक (आईसीडीएस) एवं अति. निदेशक, (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक (एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

16. डॉ0 एस.के. अग्रवाल, अध्यक्ष, इण्डियन रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग एसोसिएशन, राजस्थान, चेप्टर, सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान जयपुर।
17. डॉ0 आर.के. अग्रवाल,अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान चेप्टर, आर.के. हॉस्पिटल, 5–ए मधुवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने,उदयपुर–313001 (E-mail-rk_hospital@hotmail.com)
18. डॉ0 सुमन मित्तल, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एण्ड गायनोलॉजिकल सोसाईटी ऑफ इन्डिया, जयपुर ब्रांच, 4/21, जवाहर नगर, (E-mail-drsumanmittal@gmail.com)।

B

1. निजी सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर उच्च न्यायालय मार्फत जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर व जयपुर प्रथम।
2. सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय केम्पस, जयपुर मार्फत जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मार्फत जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक।
4. सचिव, राज्य महिला आयोग, लालकोठी, जयपुर राजस्थान।
5. सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
6. अध्यक्ष, राज्य/जिला व्यापार मण्डल मार्फत जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

C

1. समस्त जिला नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज0।
2. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
4. प्रभारी पुलिस थाना पीबीआई/अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/राज्य समन्वयक/विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक, पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
5. सेन्ट्रल सर्वर रूम।
6. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश इकलाजी)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं
उप निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सैल
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट "अ"

"बेटी बचाओं अभियान प्रकोष्ठ" की द्वितीय बैठक दिनांक 06.07.2015 को उपस्थित सदस्यगण एवं आमंत्रित पदाधिकारीगण:-

1. श्री मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमती राजकुमारी दीया कुमारी (ब्राण्ड एम्बेसेडर "बेटी बचाओं अभियान"), माननीया विधायक, सवाई माधोपुर ।
3. श्री नवीन जैन, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक महोदय एनएचम, राजस्थान जयपुर।
4. श्री नीरज के. पवन, अति0 मिशन निदेशक महोदय, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
5. श्री एस.पी.सिंह, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
6. डॉ0 दिनेश दिवेदी, कार्यकारी निदेशक (लोजिस्टिक) प्रतिनिधि प्रबंध निदेशक (आरएमएससी), राजस्थान जयपुर।
7. डॉ0 सीता रमन, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
8. डॉ0 लता राजोरिया, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
9. डॉ0 आर.एस. छीपी, अति0 निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) प्रतिनिध निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
10. डॉ0 वी.के. माथुर, निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
11. डॉ0 वी.के. चोमाल, अति0 निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
12. डॉ0 एस.एम. मित्तल, अति0 निदेशक (आईसीडीएस), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
13. डॉ0 अनुराधा असवाल, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचम, राजस्थान, जयपुर।
14. डॉ0 नरेश गोयल प्रतिनिधि, अध्यक्ष, इंडियन रेडियोलॉजी एवं इमेजिग एसोसिएशन, राजस्थान चेप्टर।
15. डॉ0 सुमन मित्तल, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एण्ड गायनोकोलॉजिकल, सोसायटी ऑफ इंडिया, जयपुर ब्रांच।

16. जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, झुन्झुनूं, श्रीगंगानगर, करौली एवं सवाई माधोपुर।
17. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, अलवर, सीकर, राजसमंद, चूरू, बाड़मेर, एवं जैसलमेर को छोड़कर।